



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 125519

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1981 वर्ष 2026

जयपाल सिंह

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : नरसिंह पांडे, रमा शंकर उपाध्याय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है। नोटिस मिलने के बावजूद प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 की ओर से कोई पेश नहीं हुआ है।

2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के तहत दायर की गई है। अपीलकर्ता ने ललितपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) द्वारा ज़मानत अर्ज़ी संख्या 91/2026 (जो मुकदमा अपराध संख्या 308/2025 से संबंधित है) में 31.01.2026 को पारित उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत अपीलकर्ता की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी गई थी। यह मामला थाना महरौनी, ज़िला ललितपुर से संबंधित है और इसमें बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(3), 119(1), 123 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(व), 3(2)(वा) और 3(1)(एच) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

4. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता पूरी तरह से बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है। वे आगे कहते हैं कि शिकायतकर्ता, जो खुद घायल है, ने अपीलकर्ता और दो अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वे यह भी कहते हैं कि घायल के बयान के अनुसार, मुख्य भूमिका सह-आरोपी तूफान राजा की थी, जिसे इस न्यायालय की एक अन्य बेंच ने क्रिमिनल अपील संख्या 10672/2025 में 16.12.2025 के आदेश से ज़मानत दी थी; ज़मानत आदेश की कॉपी अपील के समर्थन में दाखिल हलफनामे के साथ एनेक्ज़र संख्या 4 के तौर पर लगाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि अपील करने वाले का मामला सह-आरोपी तूफान राजा से कहीं बेहतर स्थिति में है, जिसे पहले ही ज़मानत मिल चुकी है; इसलिए अपील करने वाला भी समानता के आधार पर ज़मानत का हकदार है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जैसा कि हलफनामे के पैराग्राफ 19 में बताया गया है, और वह 23.12.2025 से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जेल में बंद है; अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अपीलकर्ता की ज़मानत की अर्जी का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन समानता के आधार पर मामले पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, सबूतों, आरोपी की संलिप्तता, मौजूदा अपीलकर्ता की भूमिका और चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का मानना है कि अपीलकर्ता ज़मानत का हकदार है। अवर न्यायालय ने अपीलकर्ता की ज़मानत अर्जी को खारिज करने में गलती की थी। विवादित आदेश में खामियां और कानूनी कमियां हैं, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

7. नतीजतन, अपील सफल होती है और मंजूर की जाती है। ज़मानत अर्जी संख्या 91/2026 में ललितपुर के अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा 31.01.2026 को पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

8. अपीलकर्ता-जयपाल सिंह को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो भरोसेमंद ज़मानतदार पेश करने पर उक्त मुकदमा अपराध संख्या में ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों का पालन करें:

(i) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही मुकदमा की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी अथॉरिटी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) अपीलकर्ता विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा और तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने मौजूद रहेगा, सिवाय उस स्थिति के जब संबंधित न्यायालय ने उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी हो।

(iii) अपीलकर्ता विचारण न्यायालय के सामने एक अंडरटेकिंग (लिखित वचन) देगा कि सबूत पेश करने के लिए तय तारीखों पर, जब अभियोजन पक्ष के गवाह मौजूद हों, वह कोई अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेगा। ऐसा न करने पर, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकता है।

(iv) अपील करने वाला व्यक्ति ज़मानत की आज़ादी का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

(v) अगर अपील करने वाला व्यक्ति विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है और उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत कोई घोषणा जारी की जाती है, और वह उस घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार उसके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(vi) अपील करने वाले व्यक्ति को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (a) मुकदमा की शुरुआत, (b) आरोप तय करना, और (c) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि ऐसी किसी तारीख पर उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के है, तो विचारण न्यायालय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

(vii) विचारण न्यायालय अपील करने वाले व्यक्ति की रिहाई के बाद विचारण को जल्द से जल्द पूरा करने की हर संभव कोशिश करेगा।

9. ज़मानत बॉन्ड स्वीकार करने से पहले, संबंधित न्यायालय ज़मानत देने वालों की पहचान, स्टेटस और रिहायशी पते के सबूत की जांच करेगी।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर बताई गई शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और संबंधित न्यायालय अपीलकर्ता की ज़मानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

4 जून, 2026

अजीत

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।